



बी०ए० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018–20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



आरक्षण

A) **ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)** : बी०ए० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में)प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना / शासनादेश के अनुसार देय होगा।

B) **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)** : शारीरिक रूप से विकलांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता) / दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 03 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके कारण बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा-शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उ०प्र० के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उ०प्र० में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों के अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

नोट :-

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।
 2. यदि उक्त क्रम संख्या 01 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्ति को भरने के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।
 3. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के उपरान्त भी आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।
 4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।
- C)** नेत्रहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (Writer) लाने की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 अथवा इनके समकक्ष से अधिक न हो।



बी.एड०. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018–20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



- D) अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- E) केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। विवाहित महिला अभ्यर्थियों के पति के नाम पर निर्गत जाति एवम् आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।

प्रवेश पत्र की प्रति

अभ्यर्थी को राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा बी.एड०. (द्विवर्षीय)-2018 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के सात दिन पूर्व राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा बी.एड०. (द्विवर्षीय)-2018 की वेबसाइट <https://lkouniv.ac.in> पर लॉगिन कर अपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को दो प्रतियों में मुद्रित (प्रिन्ट) कर लें व ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपनी दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) का निशान लगायें। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र को दो एक जैसी प्रतियों में लाना है व एक प्रति परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक महोदय को देनी है।